इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जून 2011—आषाढ़ 4, शक 1933

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ. 7-16-2010-उन्तीस-1.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 681(ई) तथा जी.एस.आर. 682(ई) दोनों दिनांक 30 नवम्बर 1974 और जी. एस. आर. 800, दिनांक 9 जून 1978 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुआ था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड 2 में, उपखण्ड (1) में, उप पैरा (ठ) में शब्द, ''लघु वनोपज सहकारी समिति'' के पश्चात् शब्द ''वन विभाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत संयुक्त वन प्रबंध समिति'' जोड़ा जाए;

2. उपाबंध दो में खण्ड (6) में शब्द ''मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960'' के पश्चात् शब्द ''तथा वन विभाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत संयुक्त वन प्रबंध समिति'' जोड़ा जाए.

No. F-7-16-2010-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in pursuance of G.S.R. 681(E) and G.S.R. 682(E), both dated 30th November 1974 and G.S.R. 800 dated 9th June 1978 of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Distribution System (Control Order, 2009 which was published in Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on 3rd November 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said order ,—

1. In clause 2, in sub-clause (1), in sub-para (l), after the word "laghu vanopaj sahakari samiti" the words "Joint Forest Management Samiti registered under the Forest Department" shall be added;

2. In Annexure II, in clause (6), after the words "Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960", the words "and Joint Forest Management Samiti registered under the Forest Department shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.